न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 234/2024 राजस्व प्रार्थना–पत्र

लादू पुत्र श्री हीरा दरोगा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी – करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र श्री सोहन लाल नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. चन्दा पुत्री श्री लादी देवी नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. कविश माता सीमा नाई आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक सुरेश पुत्र श्री लादी देवी नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. चांदी देवी पत्नी श्री ख्याली लाल नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. तनीशा माता सीमा नाई आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक सुरेश पुत्र श्री लादी देवी नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. शान्वी माता सीमा नाई आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक सुरेश पुत्र श्री लादी देवी नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. पवन पुत्र श्री लादी देवी नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. सुरेश पुत्र श्री लादी देवी नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. सीमा सैन पुत्री श्री ख्याली लाल नाई आयु वयस्क निवासी– करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
11. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– विपक्षीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1. श्री कन्हैया लाल सैन –अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मुकेश सिंह तंवर ––अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 9
3. पेरोकार सरकार –विपक्षी सं. 10, 11

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: आदेश ::

दिनांक– 21/10/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वादपत्र धारा 88, 89, 92–क, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत बाबत् घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 2106 इक्कीस सौ छह रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2107 इक्कीस सौ सात रकबा 0.6070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2108 इक्कीस सौ आठ रकबा 0.4426 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2109 इक्कीस सौ नो रकबा 0.1265 हैक्टयर कुल किता 04 चार रकबा 1.2646 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जिसे वाद मे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 के पूर्वजो सोहन नाई द्वारा प्रार्थी के पूर्वजो से वादग्रस्त आराजियात क्रय नही की है, बल्कि 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि सरहद करेड़ा की आराजी 2128 रकबा 0.8852 हैक्टयर क्रय की गयी व इसी जगह पर कब्जा दिया गया व उक्त भूमि के पडौस ही रजिस्ट्री मे अंकित है, लेकिन रजिस्ट्री मे सेहवन से आराजी नम्बर 2128 की जगह आराजी नम्बर 2107 एवं 2108 की रजिस्ट्री में आराजी नम्बर अंकित हो गये हैं। जबकि आराजी नम्बर 2107 एवं 2108 विक्रय नही की गयी व न ही कब्जा सुपुर्द किया गया है। जो रजिस्ट्री में पडौस अंकित है, जो आराजी नम्बर 2188 के मौके के पडौस है। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 या उनके पूर्वज सोहन जी का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है व न ही वादग्रस्त आराजी पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 का कब्जा ही है। आज भी प्रार्थीगण का ही निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारों की जानकारी में कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 के पूर्वज सोहन जी द्वारा भी उक्त भूमि गलत तौर पर उनके नाम पर रजिस्ट्री होना मानते हुए बाला के किनारे पर अपना कब्जा यानि 2188 पर कब्जा होना बताया गया व वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होने व उक्त आराजी को प्रार्थी के नाम पर कराने हेतु दिनांक 14 चौदह जुलाई 2009 दो हजार नो को इकरारपत्र भी निष्पादित किया गया। विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 नो को भी उक्त भूमि प्रार्थी के नाम पर कराने हेतु कहने पर टालमटोल करते चले आ रहे है। हाल ही मे दिनांक 01 एक जून 2024 दो हजार चौबीस को विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 नो मौके पर आये व प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने की कोशिश की व सारी वादग्रस्त आराजी अपने नाम पर दर्ज होने से प्रार्थी को जबरन बेदखल करने व अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। इस पर प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 के पूर्वज सोहन पुत्र श्री किशोर नाई के पक्ष में आराजी नम्बर 2107 एवं 2108 की रजिस्ट्री हुई थी, लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा आराजी नम्बर 2106 एवं 2109 को भी आराजी नम्बर 2107 एवं 2108 के साथ राजस्व रेकार्ड में बिना किसी विक्रयपत्र व बिना किसी न्यायालय आदेश के गलत तौर पर राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर दर्ज कर दिया गया है , आराजी नम्बर 2107, 2108 भी विक्रय नहीं की गयी, उसका विक्रयपत्र में

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

गलत इन्द्राज हुआ है, जो विक्रयपत्र मे वर्णित पडौसो से साबित है। इस कारण प्रार्थी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 का नाम विलोपित करा प्रार्थी के नाम पर दर्ज कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादग्रस्त आराजियात पर विपक्षीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा है , आराजी नम्बर 2107 एवं 2108 विक्रयपत्र में नाम दर्ज है, जबकि प्रार्थी व उनके पूर्वजों का कब्जा है, जो दिनांक 14 चौदह जुलाई 2009 दो हजार नो के इकरार पत्र के अनुसार प्रार्थी का ही कब्जा है। प्रार्थी आराजी नम्बर 2107 एवं 2108 का एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर प्रार्थी खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में प्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल करने व आराजी को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने पर आमादा है। जबकि विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 09 नो को कोई हक अधिकार नहीं है। यदि विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 09 नो प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देंगे व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 09 नो के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपनी आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा। इस कारण से प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है विपक्षीगण प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षीगण बाद तामील होने से विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 द्वारा जवाब पेश कर वादग्रस्त अराजियात जो राजस्व रेकार्ड मे जमाबंदी संवत पर्चा लगान 2030 से 2049 यानि 50 वर्ष पूर्व ही सोहन पुत्र श्री किशोर जी नाई के नाम पर दर्ज रेकार्ड है, जिस पर सोहन जी नाई काबिज थे व उनके देहान्त उपरान्त उनके वारीसान विपक्षीगण जवाबदाता काबिज है। प्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थनापत्र में मुख्य अनुतोष आराजी नम्बर 2128 की रजिस्ट्री कराने व उसकी जगह आराजी नम्बर 2107, 2108 अंकन होना बताया , जबकि आराजी नम्बर 2128 की रजिस्ट्री कब व किसके द्वारा करवायी गयी, उसका अंकन नही किया गया , बल्कि वास्तविकता इस प्रकार है कि आराजी नम्बर 2128 में आज भी प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर 1/2 हक हिस्सा अन्य खातेदारान का है, आराजी नम्बर 2128 का कुल रकबा ही 03 बीघा 10 बिस्वा बनता है, जिसमें राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज है, प्रार्थी के हिस्से में ही कुल 35 बिस्वा भूमि ही है तो 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर 2128 में कैसे विक्रय की जा सकती है। आराजी नम्बर 2107, 2108 जो कि रोड़ के सहारे मूल्यवान कृषि भूमि है, प्रार्थी के मन में दुराशय आ जाने से स्वयं द्वारा दिनांक 14/07/2009 का इकरार पत्र स्वयं के द्वारा स्टाम्प क्रय कर तैयार किया है प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र उक्त तथाकथित फर्जी इकरार नामे को आधार बनाकर दावा पेश किया है, जबकि

उपखण्ड अधिकारी गढ़ेन
सहायक कलक्टर करेड़

इकरार की पालना करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है व प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया। जिसे शामिल पत्रावली की गयी।
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

2– **सुविधा संतुलन**

3– **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थीगण द्वारा मुख्य अनुतोष जो कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये विकय करना व आराजी नम्बर 2128 रकबा 0.8852 हैक्टयर का कब्जा देने व उसकी जगह रजिस्ट्री मे आराजी नम्बर 2107 एवं 2108 अंकित हो जाना बताया गया है, जबकि विपक्षीगण द्वारा विकयपत्र की प्रति पेश नहीं की व साथ ही संवत 2030 से 2049 पर्चा लगान मे सोहन पुत्र श्री किशोर नाई के नाम पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 2106, 2107, 2108, 2109 उनके नाम पर दर्ज है व साथ ही आराजी नम्बर 2128 की रजिस्ट्री कब हुई व किसके द्वारा करवायी गयी ,जिसका भी प्रार्थनापत्र मे अंकन नही है व आराजी नम्बर 2128 मे भी प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा ही निहित है व 2128 विकय करना बताया है, जबकि आराजी नम्बर 2128 का कुल रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा जिसमे 1/2 हक हिस्सा यानि 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि ही होती व प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के पूर्वजों को 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि विकय करना बताया है, जबकि प्रार्थी के हक हिस्से मे 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही नहीं आती है, जिससे प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में किये गये अभिवचन साबित नहीं होते है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 वादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार है। जिनका कानूनन मौके पर कब्जा माना जाता है। इस कारण से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष प्रमाणित नही होकर विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन – वादग्रस्त आराजियात का विपक्षीगण रेकार्ड खातेदार काश्तकार है, विपक्षीगण के नाम पर गलत तौर पर भूमि इन्द्राज हो साबित नहीं है, जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू विपक्षीगण के विरूद्व तय नहीं किया जा सकता है।

अपूरणीय क्षति – चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित है व विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिनके विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा माननीय उच्च न्यायालयों एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित निर्णयो के अनुसार जारी नही की जा सकती है। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व व विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज होने योग्य पाता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़

:: **आदेश** ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा – 212 आर.टी.एक्ट सारहीन होने से खारीज किया जाता है। उक्त मामले मे न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 234/2024 राजस्व प्रार्थनापत्र लादू बनाम सत्यनारायण व अन्य में पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांकित 02/07/2024 को खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

([illegible] सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)